



192

माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/2015 पुनरीक्षण

निमा - ५३२-III-१६

प्रार्थी आभिभाषक श्री शुभांग्याराय
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ३०.१०.१५ तिथि ३०.१०.१५
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

माननीय न्यायालय

रो प्रकरण
क्रमांक
३०/१०/१५

बहादुर शर्मा पिता श्री रामचंद्र शर्मा, उम्र 42 वर्ष, निवासी—ग्राम हाथीपुरा तहसील सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.)

—आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता
विरुद्ध

प्रकाशचंद्र पिता श्री मांगीलाल शर्मा, आयु 56 वर्ष, निवासी—ग्राम हाथीपुरा तहसील सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.) —अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड जावद जिला नीमच (म.प्र.) के प्र.क्र. 2/अप्रैल/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31/10/2015 के विरुद्ध माननीय न्यायालय में यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है :-

01. यह कि, अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है।

02. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक को सुनवाई हेतु समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये बगैर जो आदेश दिया है, वह निरस्त किये जाने के योग्य है।

03. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक को विधिवत्

29
30/10/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-432-तीन/16

ज़िला - नीमच

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
५-२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २७-३-१९ को कलेक्टर, ज़िला नीमच के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">~</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	